न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 99/2015 दायर दिनाँक 29.06.2015

वादी		प्रतिवादीगण
1. बोदूराम पुत्र केसाराम, उम्र–73साल, जाति–जाट, निवासी–ललासरी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. पुसाराम पुत्र केसाराम, उम्र–76साल, 2. गीतादेवी पत्नी स्वर्गीय पेमाराम, उम्र–47साल, 3. रामनिवास पुत्र स्वर्गीय पेमाराम, उम्र–34साल, 4. राजेन्द्र पुत्र स्वर्गीय पेमाराम, उम्र–28साल, 5. रामचन्द्र पुत्र स्वर्गीय गोपीराम, उम्र–35साल, 6. जानकीदेवी पत्नी स्वर्गीय गोपीराम, समस्त,जाति–जाट, निवासी–ललासरी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 7. उप पंजीयक डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 8. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत् बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 53, 188 R.T.Act.

उपस्थितः—

1. पक्षकारान्।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक **14.06.2018**

शरहद मौजा ललासरी में खसरा नम्बर 228 रकबा 0.16 बीघा व खसरा नम्बर 349/292 रकबा 01.06 बीघा कुल रकबा 02.02 बीघा भूमि, का बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वादी का वाद दिनाँक 17.05.2017 को प्राथमिक डिक्री सादिर कर विभाजन प्रस्तावित करने का निर्देश तहसीलदार डीडवाना को दिया गया।

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्ट कोर्ट कैम्प–खरेश में पत्रावली पेश हुई।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 99/2015
दायर दिनाँक 29.06.2015, निर्णय दिनाँक 14.06.2018
बोदूराम बनाम् पुसाराम, वगैरा।

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्ट कोर्ट कैम्प–खरेश में पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार डीडवाना ने कैम्प दिनाँक 14.06.2018 में विभाजन प्रस्तावित किया। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन दिनाँक 14.06.2018 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

दावा डिक्री सादिर कर शरहद मौजा ललासरी तहसील डीडवाना के आराजी खसरा संख्या 228 रकबा 0.16 बीघा भूमि व खसरा नम्बर 349/292 रकबा 01.06 बीघा का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव दिनाँक 14.06.2018 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव दिनाँक 14.06.2018, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–खरेश

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **14.06.2018** को सरे कोर्ट कैम्प में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–खरेश

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:— सहायक कलक्टर, डीडवाना
न्याय आपके द्वार,2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 99/2015 दायर दिनाँक 29.06.2015

वादी		प्रतिवादीगण
1. बोदूराम पुत्र केसाराम, उम्र—73साल, जाति—जाट, निवासी—ललासरी, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. पुसाराम पुत्र केसाराम, उम्र—76साल, 2. गीतादेवी पत्नी स्वर्गीय पेमाराम, उम्र—47साल, 3. रामनिवास पुत्र स्वर्गीय पेमाराम, उम्र—34साल, 4. राजेन्द्र पुत्र स्वर्गीय पेमाराम, उम्र—28साल, 5. रामचन्द्र पुत्र स्वर्गीय गोपीराम, उम्र—35साल, 6. जानकीदेवी पत्नी स्वर्गीय गोपीराम, समस्त,जाति—जाट, निवासी—ललासरी, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 7. उप पंजीयक डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 8. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत् बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— 53, 188 R.T.Act.

दिनाँक 14.06.2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई उपस्थित पक्षकारान् ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि,

दावा डिक्री सादिर कर शरहद मौजा ललासरी तहसील डीडवाना के आराजी खसरा संख्या 228 रकबा 0.16 बीघा भूमि व खसरा नम्बर 349/292 रकबा 01.06 बीघा का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव दिनाँक 14.06.2018 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव दिनाँक 14.06.2018, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत..........
..........–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–..........
आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **14.06.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–खरेश

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प			वकालतनामा		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह	–		महनताना वकील		
सबूत	–		खर्चा गवाहान		
महनताना			फिस कमिश्नर		
वकील			बाबत इजराय		
खर्चा गवाहान			हुक्मनामा		
फिस कमिश्नर			मुतफर्रिक		
बाबत इजराय					
हुक्मनामा					
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–खरेश

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः–99–2015/रीडर/2018/567 दिनाँक 19/6/18

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –अन्तिम निर्णय की पालना करने बावत्।

दावा बाबत् बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 53, 188 R.T.Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. बोदूराम पुत्र केसाराम, उम्र–73साल, जाति–जाट, निवासी–ललासरी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. पुसाराम पुत्र केसाराम, उम्र–76साल, 2. गीतादेवी पत्नी स्वर्गीय पेमाराम, उम्र–47साल, 3. रामनिवास पुत्र स्वर्गीय पेमाराम, उम्र–34साल, 4. राजेन्द्र पुत्र स्वर्गीय पेमाराम, उम्र–28साल, 5. रामचन्द्र पुत्र स्वर्गीय गोपीराम, उम्र–35साल, 6. जानकीदेवी पत्नी स्वर्गीय गोपीराम, समस्त,जाति–जाट, निवासी–ललासरी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 7. उप पंजीयक डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 8. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित अन्तिम निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–खरेश

Scanned by CamScanner